न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर संगरिया

पीठासीन अधिकारी:–**राकेश कुमार मीना आर.ए.एस**,उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुवान
दलीपराम बनाम स्टेट

प्रार्थना पत्र : बाबत जमाबन्दी दुरूस्ती हेतु

नम्बर मुकदमा – 03/2024
निर्णय दिनांक:– 07.05.2024

दलीपराम पुत्र जीसुखराम जाति जाट सा. ढाणी बख्तावर सिह वाली (चक 1 डी.एल.पी.) तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

बनाम –**प्रार्थी**

तहसीलदार (राजस्व)संगरिया जिला हनुमानगढ

–**अप्रार्थी**

उपस्थित **श्री राकेश कुमार मीना आर.ए.एस – पीठासीन अधिकारी**

निर्णय

उक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि प्रार्थी के नाम चक 1 डी.एल.पी. खाता स. 132/53 खाता दीपाराम ज.स. 2073–76 व इसी चक के खाता स. 75/42 खाता आसाराम वगैरा ज.स. 2073–76 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।चक 1 डी.एल.पी. खाता स. 132/53 खाता दीपाराम ज.स. 2073–76 में प्रार्थी का नाम दीपाराम पुत्र जीसुखराम जाति जाट निवासी ढाणी बख्तावर सिह तह. संगरिया जिला हनुमानगढ व इसी चक के खाता स. 75/42 खाता आसाराम वगैरा ज.स. 2073–76 में प्रार्थी का नाम दलीप कुमार उर्फ दीपाराम पुत्र जीसुखराम जाति जटसिख निवासी नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ दर्ज है। जबकि प्रार्थी के राशन कार्ड ,बिजली बिल, आधार कार्ड वोटर पहचान पत्र , में प्रार्थी का सही नाम दलीपराम पुत्र जीसुखराम जाति जाट निवासी ढाणी भाई बख्तावर सिह वाली तह. संगरिया जिला हनुमानगड दर्ज है उक्त दस्तावेजों की फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है ।प्रार्थी के नाम दर्ज चक 1 डी.एल.पी. खाता स. 132/53 खाता दीपाराम ज.स. 2073–76 में प्रार्थी का नाम दीपाराम पुत्र जीसुखराम जाति जाट निवासी ढाणी बख्तावर सिह तह. संगरिया जिला हनुमानगढ व इसी चक के खाता स. 75/42 खाता आसाराम वगैरा ज.स. 2073–76 में प्रार्थी का नाम दलीप कुमार उर्फ दीपाराम पुत्र जीसुखराम जाति जटसिख निवासी नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ दर्ज होने से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पडता है जो की एक लिपीकिय त्रुटि है। व सहबन से दर्ज हुई है व काबिल दुरूस्ती है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड मे [illegible] दलीपराम पुत्र जीसुखराम जति जाट निवासी ढाणी बखतवार [illegible] तह. संगरिया जिला हनुमानगढ दर्ज करवाना [illegible] मे प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को [illegible] करना पडता है । इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थी से [illegible] प्रार्थी का नाम प्रार्थना प[illegible] वे प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी मे प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र [illegible] राजस्व रिकार्ड मे अंकन दफा 3 के अनुसार दुरूस्त कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवा देवें तो इस पर अप्रार्थी ने प्रार्थी के निवेदन पर उसे सक्षम न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.05.21 16:04:11 IS
Reason: SelfAttested

सहा. कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

में वाद पेश करने का सुझाव दिया। बस यही प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण है ।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये ।अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ तथा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार राजस्व संगरिया से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में रिर्पोट चाहने के बाद में पटवारी हल्का एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया की रिर्पोट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार राजस्व संगरिया द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट में सुखदेव सिह व गुरदेव सिह एक ही व्यक्ति के नाम होने की रिर्पोट पेश हुई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया गया।बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन तथा तहसीलदार राजस्व संगरिया द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट से प्रार्थना पत्र प्रार्थी पुर्णतः सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिती में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 1 डी.एल.पी. खाता स. 132/53 खाता दीपाराम ज.स. 2073–76 में प्रार्थी का नाम दीपाराम पुत्र जीसुखराम जाति जाट निवासी ढाणी बख्तावर सिह तह. संगरिया जिला हनुमानगढ व इसी चक के खाता स. 75/42 खाता आसाराम वगैरा ज.स. 2073–76 में प्रार्थी का नाम दलीप कुमार उर्फ दीपाराम पुत्र जीसुखराम जाति जटसिख निवासी नाथवाना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ में प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाकर दलीपराम पुत्र जीसुखराम जाति जाट सा. ढाणी बख्तावर सिह वाली (चक 1 डी.एल. पी.) तह. संगरिया जिला हनुमानगढ दर्ज किया जावे। व इसी अनुसार जमाबंदी मे दुरूस्ती की जावें ।

नियमानुसार आदेश जारी हो पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 07.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 16:04:11 IST
Reason: SelfAttested